राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 10(7)नविवि/3/2009पार्ट–III जयपुर, दिनांक :– 19 SEP 2014

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
नगर निगम,
जयपुर।

विषय :– **भवन विनियम, 2010 के विनियम 16 के अन्तर्गत "कम्पलीशन सर्टिफिकेट" की अनिवार्यता में शिथिलता दिये जाने बाबत (15 मीटर से अधिक ऊंचाई/5000 वर्गमीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल के भवनों हेतु)।**

सन्दर्भ :– **विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 03.10.2013**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में मंत्री परिषद् की बैठक दिनांक 25.08.2014 व आज्ञा क्रमांक 121/2014 में, भवन विनियम, 2010 के विनियम 16 के अन्तर्गत कम्पलीशन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता में शिथिलता दिये जाने के संबंध में विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 03.10.2013 को स्थगित किये जाने एवं इस पर पूर्ण रूप से नये सिरे से विचार किये जाने का निर्णय किया गया है। उपरोक्त आज्ञा की अनुपालना विभागीय आदेश क्र. प.10(7) नविवि/2009पार्ट–II दिनांक 03.10.2013 को एतद्द्वारा स्थगित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़, जयपुर को उनके द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.11.2012 के क्रम में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जोधपुर/अजमेर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग को निर्देशित किया जाता है कि मंत्रीमण्डल के उपरोक्त निर्णयानुसार आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
6. नगर विकास न्यास, अलवर/भरतपुर/भिवाडी/भीलवाडा/बीकानेर/आबू जिला सिरोही/कोटा/उदयपुर/श्रीगंगानगर/जैसलमेर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त स्थानीय निकायों को उपरोक्तानुसार निर्देशित किये जाने हेतु।
8. अध्यक्ष, राज. बिल्डर्स एसो., जयपुर/CREDAI, भिवाड़ी/FORUM, जयपुर/TODAR, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।
10. वरिष्ठ शासन उप सचिव न.वि.वि.

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय